भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

पृष्ठभूमि

1.1 वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार, किसी जिले में अल्पसंख्यकों की 20 प्रतिशत अथवा अधिक आबादी के एकमात्र मानदंड के आधार पर अल्पसंख्यक बहुल 41 जिलों की सूची वर्ष 1987 में तैयार की गई थी, ताकि सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं में इन जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा सके।

1.2 बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) की संकल्पना सच्चर समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई की एक विशेष पहल के रूप में की गई थी। यह 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत में सरकार द्वारा अनुमोदित एक केंद्र प्रायोजित योजना है और जिसे वर्ष 2008–09 में 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) में आरंभ किया गया था। यह एक क्षेत्र विकास पहल है, जिसे सामाजिक–आर्थिक अवसंरचना का सृजन करते हुए तथा आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए अल्पसंख्यक बहुल जिलों की विकास संबंधी कमियों को दूर करने के लिए शुरू किया गया था।

उद्देश्य

2.1 इस कार्यक्रम का उद्देश्य 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अल्पसंख्यकों की सामाजिक–आर्थिक दशाओं में सुधार लाना और लोगों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए उन्हें मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना तथा अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल जिलों में असंतुलन को कम करना है। एमएसडीपी के तहत शुरू की जाने वाली परियोजनाएं आय सृजक अवसरों को पैदा करने की योजनाओं के अलावा शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पक्के मकान, सड़के, पेयजल हेतु बेहतर अवसंरचना की व्यवस्था करने से संबंधित होंगी। योजना का उद्देश्य अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराते हुए तथा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ अंतरों को दूर करने वाली परियोजनाएं (नवाचारी परियोजनाएं) शुरू करते हुए भारत सरकारी की मौजूदा योजनाओं के अंतरों को दूर करना होगा।

2.2 यह पहल समावेशी तीव्र विकास प्रक्रिया तथा लोगो की जीवन स्तर में सुधार करने के लिए केंद्र एवं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का एक संयुक्त प्रयास होगा। इस योजना का उद्देश्य पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए विकास संबंधी कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देना है ताकि इनमें असंतुलन को कम किया जा सके तथा विकास की गति को तेज किया जा सके।

2.3 अंतर को दूर करने वाली परियोजनाएं भारत सरकार की मौजूदा योजना के अंतर्गत लागू दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही क्रियान्वित की जाएंगी। अंतरों को दूर करने वाली नवाचारी परियोजनाएं प्रस्तुत एवं अनुमोदित परियोजना अभिकल्पन के अनुसार क्रियान्वित की जाएंगी।

अल्पसंख्यक

3.1 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत मुस्लिमों, सिक्खों, ईसाईयों, बौद्धों और पारसियों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, देश में अल्पसंख्यकों की प्रतिशतता देश की कुल आबादी के 18.4% के लगभग है, जिनमें से मुस्लिम 13.4%, ईसाई 2.3%, सिक्ख 1.9%, बौद्ध 0.8% और पारसी 0.007% हैं।

3.2 कार्यक्रम के क्रियान्वयन का क्षेत्र :

(i) ब्लॉक योजना की ईकाई के तौर पर :

एमएसडीपी के क्रियान्वयन हेतु योजना की ईकाई ब्लॉक होगा, न कि जिला के जैसा कि इस समय है। इससे अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों पर कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा, क्योंकि इस प्रयोजनार्थ जिला एक बड़ी ईकाई था। इसके अलावा, इससे पात्र अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों (एमसीबी) जो इस समय मौजूदा एमसीडी से बाहर पड़ते हैं, को कवर करने में भी मद्द मिलेगी।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पिछड़ेपन के अंगीकृत मानदण्डों के आधार पर चुने गये पिछड़े जिलों में आने वाली न्यूनतम 25% अल्पसंख्यक आबादी वाले ब्लाकों को पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल ब्लाकों (एमसीबी) के रूप में चिन्हित किया जाएगा। 6 राज्यों (लक्षद्वीप, पंजाब, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तथा जम्मू एवं कश्मीर) के मामले में, जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक है, उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के अतिरिक्त बहुसंख्यकों की अल्पसंख्यक जनसंख्या का न्यूनतम कट–आफ 15% अंगीकार किया जाएगा। पिछड़े जिलों की पहचान के लिए अंगीकृत पिछड़ेपन के मानदंड (11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अंगीकृत के समान ही) निम्नानुसार हैं :–

(क) जिला स्तर पर धर्म–विशिष्ट सामाजिक–आर्थिक संकेतक –

(i) साक्षरता दर;
(ii) महिला साक्षरता दर;
(iii) कार्य में भागीदारी दर; और
(iv) महिलाओं द्वारा कार्य में भागीदारी दर; तथा

(ख) जिला स्तर पर आधारभूत सुविधा संकेतक –

(i) पक्की दीवार वाले मकानों की प्रतिशतता;
(ii) स्वच्छ पेय जल की सुविधा वाले मकानों की प्रतिशतता;
(iii) विद्युत सुविधा वाले मकानों की प्रतिशतता;

चुनिंदा ब्लाकों में, अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले गॉवों को गॉव–स्तर की अवसंरचनाओं/परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। परिसंपत्तियों के स्थान का चयन इस तरह से किया जाना चाहिए कि आवाह क्षेत्र में कम–से–कम 25% अल्पसंख्यक आबादी हो। 155 पिछड़े जिलों में आने वाले ऐसे कुल 710 अल्पसंख्यक बहुल ब्लाकों को वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर चिन्हित किया गया है।

(ii) अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल ब्लाकों के बाहर स्थित अल्पसंख्यक बहुल गांवों के समूह :

पिछड़े जिलों में ब्लॉकों के साथ सटे हुए समीपस्थ अल्पसंख्यक गांवों के समूह **(कम से कम 50% अल्पसंख्यक आबादी वाले)** जिन्हें अल्पसंख्यक बहुल ब्लाकों के रूप में चयनित नहीं गया है, चिन्हित किए जाएंगे। पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों के मामले में, ऐसे गांव जिनमें अल्पसंख्यक आबादी 25% है, चिन्हित किये जायेंगे। लगभग 500 गांव, जो अल्पसंख्यक बहुल ब्लाकों के बाहर स्थित हैं, उन्हें इन समूहों के माध्यम से कवर किया जाएगा। उपर्युक्त मापदंड को पूरा करने वाले समूहों की पहचान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जाएगी। राज्य स्तरीय समिति द्वारा अभिज्ञात समूहों की सिफारिश अधिकार–प्राप्त समिति को कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु इसके अंतिम चयन के लिए की जाएगी। अधिकार–प्राप्त समिति समूह के चयन को अंतिम रूप देगी और 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रत्येक समूह के लिए आबंटन की निश्चित करेगी।

(iii) पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल नगर/शहर :

नगर/शहर जिनकी न्यूनतम 25% अल्पसंख्यक जनसंख्या, (6 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बहुलता में आए अल्पसंख्यक समुदायों के अतिरिक्त, अल्पसंख्यक जनसंख्या का 15%) सामाजिक–आर्थिक और मूलभूत सुविधाओं के दोनों मानदण्डों में राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं, को कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु अल्पसंख्यक बहुल नगरों/शहरों के रूप में चिन्हित किया जाएगा। 90 एमसीडी के बाहर स्थित 53 जिलों के कुल 66 अल्पसंख्यक बहुल नगरों को कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु चिन्हित किया गया है। इस कार्यक्रम में नगरों/शहरों के अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण हेतु कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा सहित, केवल शिक्षा के संवर्धन में ही दखल दिया जाएगा।

3.3 इस प्रकार यह कार्यक्रम 196 जिलों में स्थित 710 अल्पसंख्यक बहुल ब्लाकों तथा 66 शहरों को कवर करेगा। ब्लॉक/शहर/नगरों की सूची **परिशिष्ट–I** पर है। तथापि, 2011 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध होने पर अथवा राज्यों द्वारा किसी नये ब्लॉक/नगर के मानदण्ड के पूरा करने की सूचना मिलने पर, इसे संशोधित किया जाएगा।

बहुक्षेत्रीय विकास योजना (एमएसडी प्लान)

4.1 राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की देख–रेख की स्पष्ट जिम्मेदारी के साथ किसी विभाग को अधिसूचित करेंगे। यह सलाह देने योग्य बात होगी कि एमएसडीपी तथा प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में उसी विभाग की जिम्मेदारी हो। एमएसडीपी हेतु योजना तैयार करते समय राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ अंतरों को दूर करने

वाली (मौजूदा केंद्र प्रयोजित योजनाओं के अंतर्गत शामिल) तथा अंतरों को दूर न करने वाली परियोजनाएं (नवाचारी परियोजनाएं) दोनों ही संचालित करेंगे।

4.2 एमएसडीपी हेतु योजना तैयार करते समय, राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अल्पसंख्यकों के कौशल प्रशिक्षण सहित शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास को प्राथमिकता देंगे। राज्य को दिए गए आबंटन का कम–से–कम 10% अल्पसंख्यक युवाओं को दिए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण से संबंधित क्रियाकलापों हेतु निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा, अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं में शिक्षा को सुविधाजनक बनाने एवं बढ़ावा देने के लिए एमएसडीपी के तहत 9वीं कक्षा की अल्पसंख्यक छात्राओं को निःशुल्क साईकलें दी जा सकती हैं। छात्रा 8वीं कक्षा की निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए हो और 9वीं कक्षा में पढ़ाई जारी रख रही हो, और ऐसी छात्रा गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से संबंधित होनी चाहिए।

4.3 एमएसडीपी प्लान की तैयारी

योजना प्रक्रिया को आधारिक स्तर तक ले जाने वाले और इस कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थानों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यक्रम के तहत कवर किए गए सभी ब्लॉकों में ब्लॉक स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। ब्लॉक स्तरीय समिति ग्राम स्तर पर योजना (बेसलाइन सर्वेक्षण के आधार पर आवश्यक विभिन्न परियोजनाओं वाली) तैयार करेगी। फिर यह समिति जिला स्तरीय समिति को प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के लिए योजना की सिफारिश करेगी। शहरों/नगरों के लिए परियोजनाओं का प्रस्ताव स्थानीय निकाय द्वारा तैयार किया जाएगा और जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत किया जाएगा। जिला स्तरीय समिति योजना प्रस्ताव की जांच करेगी और 15 सूत्री कार्यक्रम के लिए इसकी सिफारिश राज्य स्तरीय समिति को करेगी। राज्य स्तरीय समिति राज्य द्वारा केंद्रीय मंत्रालय की समानांतर योजनाओं के अनुमोदित मानको से राज्य द्वारा प्राप्त मानकीकृत लागत के आधार पर परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान करेगी। बिना मानकीकृत लागत वाली अन्य योजनाओं के मामले में राज्य स्तरीय समिति राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के एसओआर के आधार पर परियोजनाओं को अनुमोदित करेगी। राज्य स्तरीय समिति 10 करोड़ रु0 तक की लागत वाली परियोजनाओं को अनुमोदित करेगी। केंद्र की अधिकार–प्राप्त समिति ब्लॉक/शहर तथा गांवों के समूह की समग्र योजना को अनुमोदित करेगी तथा 10 करोड़ रु0 से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी देगी। इस अनुमोदन के आधार पर मंत्रालय तथा राज्य सरकार द्वारा निधियां जारी की जाएंगी।

4.4 योजना इस ढंग से तैयार की जाएगी कि या तो केंद्र सरकार की चल रही योजनाओं/कार्यक्रमों की निधियों को बढ़ाकर 'विकास संबंधी कमियों' को दूर किया जाएगा अथवा ऐसी परियोजनाओं का प्रस्ताव किया जाएगा, जिन्हें केंद्र तथा राज्य सरकारों की मौजूदा योजनाओं/कार्यक्रमों में शामिल नहीं किया गया है तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन हेतु वर्ष–वार वित्तीय एवं वास्तविक चरणबद्धता का उल्लेख करेगा।

4.5 यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बहु–क्षेत्रीय विकास योजना में शामिल परियोजनाएं राज्य/केन्द्र सरकार की किसी योजना के तहत अथवा आरएसवीवाई/बीआरजीएफ और बीएडीपी में सम्बद्ध ब्लाकों से संबंधित किसी भी निधि स्रोत के तहत स्वीकृत अथवा प्रस्तावित न हों। इसके अलावा यह भी सुनश्चित किया जाएगा कि लक्षित एमसीबी/शहरों/नगरों/गांवों में क्रियान्वित किए जा रहे इन्हीं उद्देश्यों वाली अन्य सरकारी तौर पर वित्तपोषित योजनाओं के

साथ इनकी द्विरावृत्ति न हो। यह भी सुनिश्चित किया जाना होगा कि बहु–क्षेत्रीय विकास योजना वार्षिक योजनाओं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुरूप हो तथा ब्लॉकों/शहरों/नगरों/गांवों को दिए जा रहे संसाधन मौजूदा योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत इन क्षेत्रों को किए जाने वाले नियमित आबंटन के अलावा हों।

4.6 बहुक्षेत्रीय विकास योजना के तहत, प्राथमिकता प्रदत्त प्रत्येक योजनाओं से संबंधित धारणा पत्र शामिल होगा, जिसके साथ अंतराल को स्पष्ट तौर पर रेखांकित करते हुए प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध करने के आशय का सामाजिक–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट, इसकी जटिलताएं, लक्ष्य, कार्यनीति, परिणाम और लाभ, दूरगामिता, वर्षवार वित्तीय और भौतिक विवरण के साथ परियोजना का अनुमानित लागत, निजी निवेश भागीदारी (यदि कोई हो), परियोजना की स्थान–स्थिति, भूमि की उपलब्धता और संभावित लाभार्थी, कार्यान्वयन एजेंसी, परियोजना की अवधि, कार्यान्वयन के लिए वर्तमान एवं प्रस्तावित तंत्र, प्रबंधन/संचालन और सृजित परिसंपति के अनुरक्षण संबंधी विवरण शामिल होगा।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर):

5.1 10 करोड़ रु0 से अधिक की अनुमानित परियोजना लागत वाली परियोजनाओं के लिए डीपीआर मंत्रालय को भेजे जाएंगे।

5.2 डीपीआर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित लाईन डिपार्टमेंट द्वारा अथवा परियोजना संचालित कर रही एजेंसी के माध्यम से ही तैयार किया जाएगा।

5.3 प्रत्येक परियोजना प्रस्ताव के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट होनी चाहिए। डीपीआर में अन्य बातों के अलावा आधारभूत सूचना का उल्लेख होना चाहिए तथा इसके औचित्य, लागत, आवश्यक धन, परियोजना स्थल के आस–पास उपलब्ध सुविधाएं, विस्तृत तकनीकी विशिष्टताएं आदि जैसे आर्थिक और तकनीकी व्यवहार्यता की दृष्टि से पूर्ण होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त डीपीआर में निम्नलिखित का उल्लेख होना चाहिएः

- इस आशय का प्रमाणन कि लागत अनुमान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई स्वीकृति अनुसार है और लागत सम्बद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में लागू अद्यतन दर अनुसूची (एसओआर) पर आधारित है;
- संभावित आर्थिक/सामाजिक लाभ और लक्षित लाभार्थी; तथा
- विनियामक और सांविधिक अनापत्तियों (क्लियरेंस) की स्थिति।

5.4 प्रत्येक परियोजना रिपोर्ट से संबंधित डीपीआर की दो प्रतियां अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को जांच और क्लियरेंस के लिए भेजी जाएंगी।

6. बहुक्षेत्रीय विकास योजना की तैयारी के समय अनुसरणीय सिद्धांत

6.1 योजना की तैयारी के लिए निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं :

(i) किसी ब्लॉक शहर के लिए योजना सामाजिक–आर्थिक स्थिति तथा आधारभूत सुविधाओं में सुधार की अपेक्षा पर आधारित होगी।

(ii) योजना में विभिन्न लक्षित क्षेत्रों में प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं अर्थात् प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा, पेयजल आपूर्ति, विद्युत, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास और आय सृजक क्रियाकलापों का उल्लेख होना चाहिए। ऐसा किसी जिले के समग्र विकास के लिए अपेक्षित आवश्यक अवसंरचना के लिए भी किया जाएगा। इसमें जिलों की सामाजिक–आर्थिक मानदंडों में सुधार के लिए बच्चों को विद्यालय भेजने, महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने आदि जैसे सामाजिक अभियान चलाने से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हो सकती हैं।

(iii) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कराई गई धनराशि इन जिलों के लिए अतिरिक्त संसाधन हैं और इन्हें केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा पहले से संवाहित निधियों के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए।

(iv) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लक्षित जिलों में समान प्रयोजन से कार्यान्वित सरकारी तौर पर धन सहायता प्राप्त योजनाओं के साथ द्विरावृत्ति न हो।

(v) अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, आर्थिक तथा आधारभूत सुविधाओं के मानदंडों में सुधार के लिए सम्बद्ध जिले की वंचना स्तर के अनुसार ही ध्यान दिया जाना चाहिए और संसाधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए, किन्तु ऐसे जिलों को उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सहायता की सीमा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

(vi) अभिनिर्धारित जिलों को राष्ट्रीय औसत के अनुरूप लाने के लिए भौतिक परिसंपत्ति सृजित करने हेतु परियोजनाएं, आजीविका सहायता उपलब्ध कराने और सेवाओं के अनुकूलन के अपेक्षित अवसंरचनात्मक संपर्क उपलब्ध कराने के लिए होनी चाहिए।

(vii) कार्यक्रम के तहत लागत में वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाएगी। लागत की वृद्धि के मामलें में इसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(viii) योजना निरूपण, कार्यान्वयन और निगरानी के साथ–साथ सभी स्तर पर स्व–सहायता समूहों, गैर सरकारी समूहों और पीआरआई की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(ix) प्रस्तावित परियोजनाएं निरंतर चलते रहने योग्य होनी चाहिए और परिसंपतियों का सृजन सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, ताकि परियोजना समाप्ति के बाद भी उनकी उपयोगिता बनी रहे।

(x) बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम केन्द्र/राज्य एजेंसियों के माध्यम से ही कार्यान्वित की जाएगी। तथापि, राज्य यह निर्णय ले सकेंगे कि परियोजना को पात्र, ख्यातिप्राप्त अनुभवी एजेंसी तथा ख्यातिप्राप्त एवं व्यापक रूप से मान्य गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से करा सकें, किन्तु इसके औचित्य का उल्लेख प्रस्ताव में किया जाना होगा।

(xi) इस योजना के तहत नए पदों के सृजन की पूरी–पूरी मनाही है। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की होगी कि इस कार्यक्रम के तहत सृजन हेतु प्रस्तावित परिसंपतियों को संचालित करने के लिए अपेक्षित कर्मचारी पहले से उपलब्ध हैं अथवा उपलब्ध कराए जाएंगे। केन्द्र सरकार के संसाधनों से किसी भी आवर्ती व्यय की पूर्ति इस योजना के तहत नहीं की जाएगी और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की होगी कि इस कार्यक्रम के तहत सृजन हेतु प्रस्तावित परिसंपतियों का रख–रखाव उनके द्वारा किया जाए।

(xii) सभी योजनाएं/डीपीआर सम्बद्ध राज्य में अल्पसंख्यक कल्याण/कार्य से जुड़े विभाग द्वारा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को अग्रसारित की जाएंगी। पत्राचार के मामले में भी संचार की यही प्रणाली लागू होगी।

(xiii) परियोजना निर्धारण कार्य में निम्नलिखित मानदंड सहायक होंगेः

(क) शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए;

(ख) स्व–रोजगार/आय सृजन से जुड़ी परियोजनाएं ऋण आधारित होनी चाहिए न कि सब्सिडी आधारित तथा इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए कि बैंकों/वित्तीय संस्थानों और लाभार्थी योगदान के माध्यम से ऋण के रूप में बड़ा निवेश किया जा सके। तथापि, केन्द्र सरकार की सब्सिडी आधारित योजनाओं के मामले में इसमें ढील दी जा सकेगी क्योंकि योजना के कार्यक्षेत्र में विस्तार हेतु संसाधनों में वृद्धि नितान्त आवश्यक है। ऐसे मामलें में, सब्सिडी को उस स्तर पर रखा जाना चाहिए, जैसा केन्द्र सरकार की योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत प्रदान किया गया है।

(ग) ऐसे अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों/शहरों/नगरों/गावों में कार्यान्वयनाधीन किसी वर्तमान कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों में कोई बदलाव नहीं होगा, जिसके लिए इस योजना के तहत अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

(xiv) सामाजिक–आर्थिक अवसंरचना और समुदाय परिसंपति के सृजन के लिए परियोजना निर्धारण कार्य में निम्नलिखित मानदंड सहायक होंगेः

(क) भूमि अधिग्रहण लागत को इस कार्यक्रम के तहत शामिल नहीं किया जा सकेगा। इसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वहन किया जाएगा।

(ख) इस कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता का उपयोग प्रशासनिक भवनों के नवीकरण अथवा निर्माण, प्रतिष्ठान लागत/कर्मचारी लागत आदि के मद में नहीं किया जा सकेगा।

(ग) परियोजना कार्यान्वयन प्राधिकरणों द्वारा इस कार्यक्रम से कोई भी कर्मचारी घटक – कार्य प्रभारित अथवा नियमित – नहीं सृजित किया जाएगा।

7. योजना अनुमोदनः

7.1 इस कार्यक्रम के अंतर्गत योजना अभिज्ञात ब्लॉक/शहर/समूह के स्तर पर बनायी जाएगी। एमसीबी के रूप में अभिज्ञात ब्लॉकों के लिए एमएसडीपी (ब्यौरा पैरा 8 में) हेतु गठित ब्लॉक स्तरीय समिति योजना बनाएगी और इसे प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम हेतु जिला स्तरीय समिति के पास भेजेगी। शहरों/नगरों के मामले में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अभिज्ञात शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकाय द्वारा योजना बनायी जाएगी और जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत की जाएगी। ब्लॉक स्तरीय समिति ऐसे ब्लॉकों के लिए गठित की जाएगी, जिनके अल्पसंख्यक गावों के समूहों को ईसी द्वारा अनुमोदित किया गया है। ऐसे समूहों के लिए योजना ब्लॉक स्तरीय समिति द्वारा बनायी जाएगी और जिला स्तरीय समिति को भेजी जाएगी।

7.2 जिला स्तरीय समिति

जिला स्तरीय समिति योजना प्रस्ताव की संवीक्षा करेगी और 15 सूत्रीय कार्यक्रम हेतु इसे राज्य स्तर की समिति को सिफारिश करेगी। समितियां यह सुनिश्चित करेंगी कि जिले के लिए बहुक्षेत्रीय विकास योजना, कार्यक्रम के विवरण में उल्लिखित अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है :

(क) सम्बद्ध जिले को राष्ट्रीय औसत के अनुकूल लाने के लिए आधारभूत सुविधा मानदंडों और अल्पसंख्यकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए परियोजनाओं का प्रस्ताव करना;

(ख) कमी/अंतराल को पूरा करने के लिए परियोजनाओं का प्रस्ताव करना, न कि बजट सहायता प्राप्त किसी वर्तमान योजना को समान प्रयोजन से रखने के लिए;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए उपलब्ध कराई गई धनराशि इन जिलों के लिए अतिरिक्त संसाधन हैं और इन्हें राज्यों में संवाहित राज्य सरकार की निधियों के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक बहुल जिलों से निधियां अन्यत्र लगाया जाना रोकने के लिए सम्बद्ध जिले की पिछले वर्ष की धनराशि को उपयोग में लाए जाने को आधार माना जाएगा।

(घ) उन चुनिन्दा क्षेत्रों के लिए परियोजनाओं का प्रस्ताव करना, जिन्हें सम्बद्ध राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं तथा ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों में और केन्द्र सरकार के कार्यक्रम/योजनाओं में शामिल नहीं किया गया है किन्तु जिले के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता हो।

(ड.) यह सुनिश्चित करना कि राज्य और केन्द्रीय योजनाओं के तहत कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित योजनाओं का समान प्रयोजन से द्विरावृत्ति न हो।

(च) अल्पसंख्यक बहुल गांवों/स्थान स्थितियों पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित करने वाली योजनाओं का चयन करना।

(छ) सम्बद्ध क्षेत्र के संसाधनों को न्यायोचित ढंग से संवितरित करना, ताकि संगतपूर्ण मानदंडो को राष्ट्रीय औसत से ऊपर लाया जा सके।

(ज) जहां कहीं तंत्र स्थापित है वहां पंचायती राज्य संस्थाओं/स्थानीय निकायों को बहुक्षेत्रीय विकास योजनाओं में लगाया जाना।

(झ) यह सुनिश्चित करना कि सम्बद्ध जिले से संबंधित बहुक्षेत्रीय विकास योजना उस जिले में संसाधनों की उपलब्धता और कार्यक्षेत्र को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

(ञ) यह सुनिश्चित करना कि बहुक्षेत्रीय विकास योजना वार्षिक योजनाओं और ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना को शामिल करते हुए जिले के अंतर्गत समग्र नियोजन प्रक्रिया के अनुरूप तैयार किया गया है।

उपायुक्त/कलेक्टर/जिला मिशन निदेशक जैसा भी मामला हो, जिला योजना को बनाने और इसके कार्यान्वयन और प्रभावी निगरानी रखने के लिए सहायता प्रदान करेंगे।

7.4 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय समिति

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधान मंत्री के नए 15–सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति सम्बद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय समिति का कार्य भी करेगी। वर्तमान सदस्यों के अतिरिक्त, इसमें सभी सम्बद्ध विभाग के सचिवों, वित्त व योजना विभागों के सचिवों, सम्बद्ध जिले की जिला नियोजन समिति/उप आयुक्त तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अग्रणी बैंक के प्रमुख को सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है। बैठक से संबंधित सूचनाएं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को भेजी जाएंगी, ताकि मंत्रालय का कोई अधिकारी बैठक में शामिल हो सके।

7.5 राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) 10 करोड़ रु0 तक की परियोजनाएं अनुमोदित करेगी। परियोजनाओं को अनुमोदित करते समय एसएलसी निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी :–

i) यह देखेगी कि योजना प्रस्ताव एमएसडीपी की परिधि में है अर्थात् परियोजनाएं एमएसडीपी के उद्देश्यों और दिशा–निर्देशों के अनुरूप हैं।
ii) यह अपने आपकों संतुष्ट करेगी कि प्रस्तावित स्थान पर परियोजना की जरुरत और औचित्य है।
iii) यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य द्वारा अनुमोदित एकल परियोजनाओं की लागत केंद्रीय मंत्रालयों की अनुरूप योजनाओं के मानकों/बनावट से ली गई मानक लागत के अनुसार है।
iv) यह सुनिश्चित करेगी कि एमएसडीपी के अंतर्गत परिसंपत्तियां सृजन के कैचमेंट क्षेत्र में अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या है।
v) यह सुनिश्चित करेगी कि केंद्र और राज्य सरकार की अन्य योजनाओं की परियोजनाओं का दोहरीकरण न हो रहा है।
vi) यह सुनिश्चित करेगी कि परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध है।

vii) यह सुनिश्चित करेगी कि सृजित की गई परिसंपत्तियों का स्वामित्व सरकारी/सरकारी निकायों के पास हो।

viii) यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य सरकार भविष्य में आवर्ती व्यय करने में सक्षम हो और परियोजना के लिए जरुरी स्टॉफ उपलब्ध करा सके।

ix) यह सुनिश्चित करेगी की केंद्र और राज्य सरकार के बीच परियोजना की निधियों की हिस्सेदारी का तरीका उस परियोजना के संबंधित केंद्र प्रायोजित योजना के अनुरूप है।

7.6 मंत्रालय के एक प्रतिनिधि को राज्य स्तरीय समिति की बैठक में भाग लेने के लिए भी तैनात किया जाएगा। राज्य स्तरीय समिति ब्लॉक/शहरों/समूहों पर अनुमोदित परियोजनाओं के आधार पर ब्लॉक/शहर/समूह की योजना अधिकार प्राप्त समिति को विचारार्थ भेजेगी। प्रस्तावित योजना दिए गए **परिशिष्ट–II** के प्रारूप के अनुसार भेजी जाएगी।

7.7 तथापि, 10 करोड़ रु0 की और इससे अधिक की लागत वाली परियोजनाएं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, समर्थन आदि के साथ केंद्र में अधिकार प्राप्त समिति को भेजी जाएगी।

7.8 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में अधिकार प्राप्त समिति

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में अधिकार प्राप्त समिति (ब्यौरे पैरा 15 में दिए गए हैं) ब्लॉक/शहरों/समूहों की समग्र योजना और दस करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान करेगी। केंद्र में अधिकार प्राप्त समिति समग्र योजनाओं की जांच करेगी और देखेगी कि योजना प्रस्ताव एमएसडीपी के दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं कि नहीं। अधिकार प्राप्त समिति परियोजनाओं को राज्य सरकारों की जरूरतों की तुलना में योजना परिव्ययों पर निर्भर होते हुए उन्हें कम या ज्यादा कर सकती है और अन्त में योजना को अनुमोदित कर सकती है।

8. निधियों की निर्मुक्ति

8.1 कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाएं केंद्र सरकार की मौजूदा योजनाओं के अंतर को भरने के लिए या अल्पसंख्यक समुदायों की क्षेत्र विशेष की जरूरतों को पूरा करने के लिए अभिनव परियोजनाओं के लिए हो सकती है। परियोजनाओं के मौजूदा योजनाओं के अंतर को भरने के लिए परियोजनाओं हेतु निधियन का स्वरूप वही होगा जो सरकार की संबंधित योजनाओं में होता आ रहा है। निधियों को दो किस्तों, 50% प्रत्येक और दूसरी किस्त पहली किस्त के 60% उपयोग करने के पश्चात जारी किया जाना, जारी रखा जाएगा।

8.2 अभिनव परियोजनाओं के मामले में केंद्र और राज्यों के बीच में निधियों की हिस्सेदारी 60:40 अनुपात में और उत्तर पूर्वी राज्यों में 80:20 होगी। इसके अतिरिक्त अभिनव परियोजनाओं के लिए निधियों का केंद्रीय हिस्सा 30%, 30% और 40% की तीन किस्तों में जारी किया जाएगा। ऐसी परियोजनाओं के लिए दूसरी किस्त राज्य को जारी किए गए 50% और केंद्रीय हिस्से के 50% उपयोग के पश्चात जारी की जाएगी। तीसरी किस्त राज्य के हिस्से की पूर्ण निर्मुक्ति और निर्मुक्त किए गए केंद्रीय हिस्से के 50% उपयोग के पश्चात जारी की जाएगी। निधियों की निर्मुक्ति पहले किए गए परियोजना–वार के बजाय ब्लॉक/शहर/नगर–वार की जाएगी।

8.3 निधियों की निर्मुक्ति ब्लॉक, शहर और समूह को योजना–वार इकाई मानकर की जाएगी। पहली किस्त अधिकार प्राप्त समिति से योजना को अनुमोदन मिलने के पश्चात की जाएगी बशर्ते कि एमएसडीपी के अंतर्गत योजनाओं के लिए पृथक खाते रखे जाएं और ब्यौरे संबंधित केंद्रीय मंत्रालय को संपत्तियों के सही रिकार्ड रखने और दोहरी गणना करने और दोहरीकरण से बचने के लिए भेजे जाएंगे।

8.4 राज्य द्वारा निधियों की उत्तरवर्ती किस्तों की निर्मुक्ति के लिए किए गए आग्रह के साथ होने चाहिएः

- उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी)
- तिमाही प्रगति रिपोर्टें (क्यूपीआर)
- परिवर्तनात्मक परियोजनाओं के मामले में राज्य के हिस्से को जारी करने के संबंध में रिपोर्ट

8.5 यूसी को निर्धारित आरूप **(अनुलग्नक–III)** में तभी भरा जाए जब कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा परियोजना पर व्यय उठा लिया गया हो। राज्य सरकार में अल्पसंख्यक कार्यों से संबंधित विभाग के सचिव द्वारा यूसी पर हस्ताक्षर किए हुए होने चाहिए। अगली किस्तों की निर्मुक्ति यूसी और अन्य संबंधित दस्तावेजों की प्राप्ति के पश्चात ही संस्तुत की जाएगी।

9. अनुमोदित परियोजनाओं का कार्यान्वयन

9.1 कार्यक्रमों का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी होगा। परियोजनाओं का निष्पादन पंचायती राज्य संस्थानों/लाइन विभाग/एजेंसियों/अनुसूचित क्षेत्र परिषदों द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में परिचलित कार्यान्वयन प्रणाली के अनुसार किया जाएगा।

9.2 अंतर भरने वाली परियोजनाओं के मामले में कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी सामान्यतः वही एजेंसी होगी जिसने प्रारंभिक योजना का कार्यान्वयन किया है जिसके लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। तथापि, यदि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र परियोजना किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से करवाने का प्रस्ताव करते हैं तो उसी को अधिकार प्राप्त समिति को योजना अनुमोदन के साथ प्रस्तावित किया जाना चाहिए।

9.3 अभिनव परियोजनाओं (अंतर न भरने वाली परियोजनाएं) के मामले में कार्यान्वयन एजेंसी को परियोजना रिपोर्ट का भाग होना चाहिए और अधिकार प्राप्त समिति को भेजे गए योजना प्रस्ताव में भी इसे इंगित करना चाहिए।

लागत में वृद्धि

10. बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के लागत में वृद्धि, चाहे किसी भी कारण से हो, से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी मामलों में क्षति का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

प्रशासनिक लागत

11.1 कार्यक्रम के अंतर्गत कुल आबंटन का अधिकतम 3% प्रशासनिक और संबद्ध व्ययों के लिए निर्धारित किया जाएगा। इसमें से 1% आईईसी क्रियाकलापों और केंद्रीय स्तर पर व्यय के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आबंटन का 2% राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक स्तर सहायकों को रखने से संबंधित व्ययों सहित (ब्यौरे पैरा 14 पर हैं) प्रशासनिक और संबद्ध व्ययों हेतु उपयोग किया जा सकता है।

11.2 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक लागत हेतु प्रस्तावों के अनुमोदन को सहायता देने के लिए, अनुमोदन योग्य अनुमानित व्यय सहित मदों की एक सूची प्रदान करेगा। तब तक राज्य/संघ राज्य अपनी जरूरतों के हिसाब से प्रशासनिक लागत हेतु अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं।

निगरानी तंत्र

12.1 विभिन्न स्तरों पर समितियों की निगरानी सर्रंचना के अतिरिक्त कार्यक्रमों पर निगरानी हेतु एक स्वतंत्र निगरानी प्रणाली और समुदाय की सहभागिता के साथ एक मजबूत निगरानी तंत्र होगा। इस प्रकार कार्यक्रम के निगरानी निम्नलिखित प्रणालियों के माध्यम से की जाएगीः

- ब्लॉक से केंद्र की ओर आरंभ होने वाली विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों द्वारा निगरानी
- स्वतंत्र एजेंसी अथवा योग्य निरीक्षकों द्वारा निगरानी
- राज्य, क्षेत्रीय, राज्य और क्षेत्रीय स्तरों पर सम्मेलनों और अधिकारियों द्वारा परियोजना स्थलों के दौरों के माध्यम से निगरानी
- सामाजिक लेखा तंत्र के माध्यम से समुदाय की सहभागिता के साथ निगरानी

12.2 विभिन्न स्तरों पर समितियों के माध्यम से निगरानी

एमएसडीपी के लिए ब्लॉक स्तर समिति ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम के निगरानी के लिए जिम्मेदार होगी। यह समिति तीन माह में एक बार बैठक करेगी और इसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के लिए जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) को भेजेगी। ब्लॉक स्तरीय समिति को कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक ब्लॉक में लगाई जाने वाले ब्लॉक स्तरीय सहायकों (ब्यौरे पैरा 13 में हैं) से भी सहायता मिलेगी। जिला स्तरीय समिति एमएसडीपी के अंतर्गत कार्यान्वयन किए जाने वाली परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु त्रैमासिक बैठकें करेंगी और रिर्पोटें अगली तिमाही के 15वें दिन तक प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के लिए जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) को भेजेगी। एसएलसी को कार्यक्रम के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा करने के लिए तीन माह में एक बार बैठक करनी चाहिए और तिमाही के अंत के एक महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को भेज देनी चाहिए। केंद्र की अधिकार प्राप्त समिति निरीक्षण समिति का भी कार्य करेगी और कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेगी।

12.3 स्वतंत्र एजेंसी/योग्य निरीक्षकों द्वारा निगरानी

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय विख्यात वाह्य एजेंसियों और योग्य निरीक्षकों काम पर रखते हुए एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र का निर्माण करेगी। इस प्रणाली से कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य–संघ राज्य क्षेत्र–वार आवधिक फीडबैक मिलेगा, जिसका आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सांझा भी किया जाएगा।

12.4 समुदाय की सहभागिता के साथ निगरानी–सामाजिक लेखाः

कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन में समुदाय को शामिल करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा सामाजिक लेखा का एक उपयुक्त तंत्र अपनाया जाएगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिला और ब्लॉक स्तरीय प्रशासन सामाजिक लेखा प्रणाली के सफल कार्यान्वयन के लिए अपना पुरा सहयोग प्रदान करेंगे। समुदाय के प्रमुख सदस्यों से प्रत्येक ब्लॉक में हुए कार्यों की निगरानी करने के लिए सामाजिक लेखा समिति नामक एक समिति गठित की जाएगी।

12.5 सम्मेलन और दौरों के माध्यम से निगरानीः

इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रगति की राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर निगरानी रखने के लिए नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी। कार्यक्रम से संबंधित अधिकारी और स्टॉफ कार्यकम का जल्द कार्यान्वयन और गुणवत्ता का पालन सुनिश्चित करने के लिए परियोजना स्थलों का नियमित दौरा करेंगे। राज्य/जिला अधिकारियों द्वारा विख्यात प्रयोगशाला सहुलियतों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता परीक्षा की जाएंगी। तिमाही के अंत में राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन प्रत्येक परियोजना के संबंध में की गई प्रगति रिपोर्ट करेंगे। कार्यान्वयन की परियोजना–वार प्रगति, तिमाही आधार पर इस कार्य के लिए **अनुलग्नक–IV** में निर्धारित **तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर)** के प्रारुप और ऑनलाईन जब आईटी सक्षम प्रणाली शुरू हो जाती है, रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। कोई अतिरिक्त सूचना प्रारूप में दी जाए। ऐसी क्यूपीआर की कागजी प्रति तिमाही के खत्म हो जाने के 15 दिनों के भीतर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव तक पहुंच जानी चाहिए।

13. ब्लॉक स्तरीय समितिः जिला मजिस्ट्रेट प्रत्येक अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक (एमसीबी) के लिए ब्लॉक स्तरीय समिति (बीएलसी) गठित करेगा। ब्लॉक स्तरीय समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा :–

(i)	पंचायती राज का ब्लॉक स्तरीय मुखिया	अध्यक्ष
(ii)	खंड विकास अधिकारी	सह–अध्यक्ष
(iii)	ब्लॉक स्तर अधिकारी (बीएलओ) शिक्षा	सदस्य
(iv)	ब्लॉक स्तर अधिकारी (बीएलओ) स्वास्थ्य	सदस्य
(v)	ब्लॉक स्तर अधिकारी (बीएलओ) आईसीडीएस	सदस्य
(vi)	ब्लॉक स्तर अधिकारी (बीएलओ) कल्याण	सदस्य
(vii)	मुख्य स्थानीय बैंक अधिकारी	सदस्य
(viii)	प्रधानाचार्य, आईटीआई, यदि कोई हो	सदस्य

(ix)	अल्पसंख्यकों के लिए कार्य करने वाले विख्यात एनजीओ/सिविल सोसाईटी के तीन प्रतिनिधी	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित सदस्य

ब्लॉक स्तरीय समिति ब्लॉक के अल्पसंख्यकों द्वारा महसुस की गई जरूरतों के आधार पर ब्लॉक की योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार होंगे। समिति ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार होगी।

14. ब्लॉक स्तरीय सहायक

14.1 अल्पसंख्यक समुदायों और सरकारी कार्यक्रमों के मध्य सेतु का कार्य करने के लिए उनको दी गई जिम्मेदारी के निर्वहन हेतु ठेकागत आधार पर ब्लॉक स्तर पर एक सुविधाप्रदाता लगाया जाएगा। सुविधाप्रदाता कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार जिला नोडल अधिकारी के सीधे नियंत्रण और देख–रेख के अधीन काम करेगा। ब्लॉक स्तरीय सुविधाप्रदाता को 10000/- से 15000/- रुपये मासिक पारिश्रमिक और 5000/- अधिकतम कार्यक्रम के प्रशासनिक लागत से टीए/डीए और अपने संचालन और क्रियाकलापों के लिए भुगतान किया जा सकता है। सुविधाप्रदाता को विशेषतः सामाजिक क्षेत्र में दो वर्षों के कार्य अनुभव के साथ स्नातक होने चाहिए। राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन सहायकों के लिए सही अर्हताएं निर्धारित करेंगे जिसके विस्तृत मानक यहां दिए गए हैं और समाचार–पत्रों में खुले आवेदन के जरिए एक पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए सहायकों को रखेगी। संविधा सेवा की निबंधन एवं शर्तें राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

14.2 ब्लॉक स्तरीय सुविधाप्रदाता के निम्नलिखित कार्य होंगेः

(i) सरकारी संस्थानों और अल्पसंख्यक समुदायों के मध्य सेतु का कार्य यह सुनिश्चित करने के लिए करना कि कार्यक्रमों का लाभ उन तक उचित ढंग से पहुंचे।

(ii) ब्लॉक स्तरीय समिति को जिला स्तरीय समिति हेतु इसकी सिफारिशों के लिए और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए,योजना प्रस्ताव की जांच करने के लिए जरूरी सहयोग देना।

(iii) सुविधाप्रदाता कार्यक्रम के लिए प्रगति रिपोर्ट और अन्य जरूरी रिर्पोटें तैयार करेगा।

(iv) सुविधाप्रदाता ब्लॉक स्तर पर सामाजिक लेखा समिति को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

15. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में अधिकारप्राप्त समिति

15.1 अल्पसंख्यक बहुल जिलों की योजना में परियोजनाओं के मूल्यांकन, अनुशंसा और स्वीकृति के लिए 'बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम से सम्बद्ध अधिकारप्राप्त समिति' होगी। समिति की संरचना इस प्रकार होगी :

(i) सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय – अध्यक्ष

(ii) व्यय सचिव अथवा कम से कम संयुक्त सचिव स्तर का प्रतिनिधि–सदस्य

(iii) प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र का कार्य देख रहे सम्बद्ध मंत्रालय/विभागों के सचिव अथवा कम से कम संयुक्त सचिव स्तर का उनका कोई प्रतिनिधि – सदस्य

(iv) प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र का कार्य देख रहे तकनीकी स्कंध/एजेंसी/प्राधिकरण के मुख्य इंजीनियर अथवा समकक्ष श्रेणी का उनका कोई प्रतिनिधि – सदस्य

(v) योजना आयोग में सामाजिक कार्य विषय का प्रभारी प्रधान सलाहकार/सलाहकार – सदस्य

(vi) वित्त सलाहकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय – सदस्य

(vii) सचिव, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली–सदस्य

(viii) बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के प्रभारी संयुक्त सचिव/संयुक्त सचिव गण – एक संयुक्त सचिव संयोजक सदस्य

15.2 अधिकारप्राप्त समिति आवश्यकतानुसार आईसीएसएसआर के क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थानों अथवा आधारभूत सर्वेक्षण करने वाले विश्वविद्यालय जैसी व्यावसायिक एजेंसी के प्रमुखों को अपनी बैठकों में आमंत्रित कर सकेगी।

15.3 अधिकारप्राप्त समिति के कार्य

अधिकारप्राप्त समिति के कार्य इस प्रकार होंगे :

i) राज्य स्तरीय समिति से प्राप्त ब्लॉक/शहर/समूहों की योजनाओं का अनुमोदन करना।
ii) डीपीआर के आधार पर 10 करोड़ रु0 से अधिक के लागत वाले परियोजनाओं का अनुमोदन करना।
iii) ब्लॉकों/शहरों का आबंटन ब्लॉक/शहर/गांवों में अच्छा निष्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना।
iv) कार्यक्रम के कार्यान्वयन की जांच करना।
v) कार्यक्रमों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आ रही प्रक्रियागत और अन्य खामियों को दूर करने के लिए नीतिगत बदलाव का सुझाव देना।
vi) निर्विघ्न कार्यान्वयन हेतु कार्यक्रम में जरुरी नीति बदलाव सुझाना।

15.4 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार के लिए आवश्यकतानुसार अधिकारप्राप्त समिति की बैठक होगी।

16. सूचना का प्रसार और पारदर्शिता

16.1 कार्यान्वित विकास योजनाओं से संबंधित सूचना लाभार्थियों अर्थात् लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि सूचनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार हो तथा उसमें पारदर्शिता बनाई रखी जाए। इस प्रयोजन से निम्नलिखित बातें सुनिश्चित की जाएंगी :

(i) सभी अनुमोदित योजनाओं/परियोजनाओं को स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित एवं प्रसारित किया जाएगा तथा संबंधित वेबसाईट पर भी स्थान दिया जाएगा।

(ii) परियोजना को स्वीकृति प्राप्त होने के तुरंत बाद ही राज्य सरकार परियोजना स्थल पर एक पट्टिका लगाएगी, जिस पर परियोजना स्वीकृति की तिथि, पूरा होने की संभावित तिथि, अनुमानित परियोजना लागत, वित्त पोषण का स्रोत अर्थात् बहुक्षेत्रीय विकास योजना (भारत सरकार), ठेकेदारों के नाम और वास्तविक लक्ष्य का उल्लेख होगा। परियोजना समाप्ति के बाद एक स्थायी पट्टिका लगाई जाएगी।

(iii) राज्य सरकार द्वारा समाचार पत्रों/दूरदर्शन के माध्यम से सूचना को प्रसारित किया जाएगा तथा वर्तमान वेबसाईट पर स्थान दिया जाएगा।

****

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के तहत कवर किए गए राज्य/जिला–वार ब्लॉकों और शहरों की सूची

क्रम सं0	राज्य	जिला	एमएसडीपी के अंतर्गत यथा प्रस्तावित अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लॉकों/नगरों के नाम	
			ब्लॉक	**शहर**
1	अंडमान एवं निकोबार	निकोबार	कार निकोबार	
			नानकोरी	
	उप योग	**1**	**2**	
2	आध्र प्रदेश	मेडक	न्यालकल	
			जहिराबाद	
			कोहिर	
		कडप्पा	रायचोटी	
				प्रोद्दतुर (एम)
				रायचोटी (सीटी)
		करनूल	नंदीकोटकुर	
			सरवेल	
			अटमाकुर	
			चांगलामारी	
				अदोनी (एम)
				गुंटकल (एम)
		निजामाबाद	रांजल	
			येदपल्ली	
				निजामाबाद (एम)
				बोधान (एम)
		अदिलाबाद	-	अदिलाबाद (एम)
			-	कागजनगर (एम)
		रंगारेड्डी	-	राजेंद्र नगर (एम)
			-	तंदुर (एम)
		गुंटुर	-	नरसरौपेट (एम)
		अनंतपुर	-	कादिरी (एम)
	उपयोग	**8**	**10**	**12**
3	अरूणाचल प्रदेश	तवांग	लुमला	
			तवांग	
			मुकतो	
		पश्चिम कमेंग	नफरा बुरागांव	
			दिरांग	
			कलकटांग	
		पूर्व कमेंग	सेप्पा	
			पक्के केस्संग	
		पपुम पारे	दोइमुख–किमिन	
			सगली	
		लोवर सुबंसरी	चाम्बंग	
			याचुली	
			पालिन	
		डब्ल्यू. सैंग	मेचुका	
			कयिंग–पयुम	
			बासर	
			गेंसी	
		यू. सियांग	तुतिंग	
		लोहित	नामसाई	
		चंगलांग	नमपोंग–मनमाऊ	

			खगम–मियाओ	
			बार्डुम्सा–दियुन	
		तिरप	नामसंग	
			निआउसा	
			पंगचाओ–वाक्का	
		पूर्व सियांग	रम्ले बंगो	
	उप योग	**11**	**26**	
4	असम	कोकराझार	दोतोमा	
			कचुगांव	
			हातिधुरा	
			गोसाइगांव	
			सीदी–चिरांग पीटी.	
		धुबरी	अगामोनी	
			गोलोकगंज	
			रूप्सी पीटी	
			गौरीपुर	
			देबितोला	
			बिरशिंगजरूआ	
			महामाया	
			नायरालगा	
			बिलासीपारा	
			चपर–सालकोचा	
			जमादरहत	
			दक्षिण सलमारा	
			फेकमारी	
			मानकचर	
		गोलपारा	कुशधावा	
			जलेसवर	
			लखिपुर	
			खरमुजा	
			बलिजाना	
			कृष्णाई	
			मतिया	
			दुधनई	
		बोगायीगांव	सीदली–चिरांग पीटी.	
			बैतमरी	
			सृजनग्राम	
			तपातरी	
			मनिकपुर	
		बरपेटा	गोबरधना	
			चकचका	
			रूपसी पीटी	
			मंडिया	
			चेंगा	
			गुमाफुलवाड़ी	
			भवानीपुर	
			पकबेतबारी	
			बरपेटा	
			सरूखेतरी	
		कामरूप	बिहदिया–जजिकोना	
			बचेरा	
			रंगिया	
			हाजो	
			गोराइमरी	
			बानगांव	
			चमरिया	
		नलबरी	बरिगोग–बनभग	

			मधुपुर	
			बरखेतरी	
		दरंग	उदलगुरि	
			सिपाछर	
			पब–मंगलदाई	
			कलाईगांव	
			बेचिमारी	
			दोलगांव–सियालमारी	
			रोवता	
		मारीगांव	भुरबंधा	
			मयांग	
			लहरीघाट	
			मेराबरी पीटी	
			कपिली पीटी.	
		नागांव	पश्चिम–कालियाबोर	
			पखिमरिया	
			रहा	
			बजियागांव	
			लावोखोवा	
			मैराबरी पीटी.	
			बतादरवा	
			जुरिया	
			रूपाही	
			खागरीजन	
			कथियातोली	
			बिन्नाकांडी	
			जुगिजन	
			धल पखूरी	
			उदली	
			लमदिंग	
		सोनितपुर	चटिया	
			धेकियाजुली	
			गभरू	
			बरचाला	
			बलीपारा	
			बिशवनाथ	
		लखिमपुर	लखिमपुर	
			करूनाबरी	
			नोवबोइचा	
				उत्तर लखिमपुर (एमबी)
		कारबी आंगलोंग	बोकाजन	
			निलिप	
		नोर्थ कछार हिल्स	न्यू संगबार	
			हरंगजाऊ	
			जतिगां वेली	
		कछार	कातिगोराह	
			सलचपरा	
			बारखोला	
			कलैन	
			सिलचर	
			उदारबोंद	
			सोनाई	
			नरशिंगपुर	
			पालनघाट	
			बसकांडी	
			लखिपुर	
			बिन्नाकांडी	

		करीमगंज	नोर्थ करीमगंज	
			साउथ करीमगंज	
			बदरपुर	
			पथेरकांडी	
			लोवाईरपोआ	
			रामकृष्ण नगर	
			दुल्लावचेरा	
		हैलाकांडी	अलगापुर	
			हैलाकांडी	
			लाला	
			कत्लीचेरा	
			साउथ हैलाकांडी	
	उप–योग	**17**	**118**	**1**
5	बिहार	वेस्ट चंपारन	मैनातंत्र	
			नरकटियागंज	
			लौरिया	
			सिक्ता	
		सीतामढ़ी	बैरगनिया	
			बोखारा	
			परीहार	
			बजपत्ती	
			पुप्री	
			नानपुर	
		मधुबनी	कलुवाही	
			मधुबनी	
			बिस्फी	
				मधुबनी (एम)
		सुपौल	बसंतपुर	
				सुपौल (एम)
		अररीया	नरपतगंज	
			रानीगंज	
			फोरबेसगंज	
			अररीया	
			सिक्ती	
			पलासी	
			जोकिहट	
		किशनगंज	तेरहागछ	
			दिघलबैंक	
			ठाकुरगंज	
			पोथिया	
			बहादुरगंज	
			कोचाधामिन	
			किशनगंज	
		पूर्णिया	कृत्यानंद नगर	
			पूर्णिया ईस्ट	
			कस्बा	
			श्रीनगर	
			जलालगढ़	
			अमौर	
			बैसा	
			बैसी	
			दगरूआ	
		कटिहार	फाल्का	
			कोरहा	
			हसनगंज	
			कदवा	
			बलरामपुर	

			बरसोई	
			आजमनगर	
			प्राणपुर	
			कटिहार	
			मानसाही	
			बरारी	
			मनिहारी	
			अम्दाबाद	
		दरभंगा	दरभंगा	
			मानीगच्ची	
			अलीनगर	
			हयाघट	
			जाले	
			सिंघवारा	
			कोतिरानवेय	
			किरातपुर	
			गोरा बैराम	
		गोपालगंज	उचकागांव	
			माझां	
			थावे	
		सिवान	हसनपुरा	
			हुसाइंगंज	
			बरहारिया	
				सिवान (एम)
		भागलपुर	सोनहौला	
			जगदीशपुर	
				भागलपुर (एम कोर्प)
		बांका	धुरैया	
		वैशाली	चेहरा कालन	
		समस्तीपुर	ताजपुर	
		पूर्व चंपारन	अदापुर	
			रामगढ़वा	
			बंजारिया	
			नरकटिया	
			थाका	
		नालंदा		बिहार (एम)
		पटना		फुलवारी शरिफ (एनए)
		रोहतास		ससार्म (एम)
		नवादा		नवादा (एम)
	उप–योग	**20**	**75**	**8**
6	छत्तीसगढ़	जशपुर	कंसाबेल	
			दुलदुला	
			मनोरा	
			जशपुरनगर	
			कुनकुरी	
	उप–योग	**1**	**5**	
7	दिल्ली	नोर्थ ईस्ट दिल्ली	नोर्थ ईस्ट	
	उप–योग	**1**	**1**	
8	गुजरात	कच्छ	लखपत	
			भुज	
			अब्दसा	
			गांधीधाम	
	उप –योग	**1**	**4**	
9	हरियाणा	कैथल	गुहला	
		फतेहबाद	टोहाना	
			रतिया	
		सिरसा	दबवाली	

			ओढान	
			बारागुधा	
			एल्लनाबाद	
		गुड़गावं + मेवात	तावडु	
			नुह	
			नगिना	
			फिरोजपुर झिरका	
			पुन्हाना	
		फरीदाबाद	हथीन	
		यमुनानगर	सदौरा	
			छछरौली	
	उप–योग	**6**	**15**	
10	जम्मू एवं कश्मीर	लेह (लद्दाख)	नोबरा	
			लेह	
			खालसी	
			न्योमा	
			खारू	
			दुरबुक	
		राजैरी	नोवशेरा	
	उप–योग	**2**	**7**	
11	झारखंड	पलामु	महुआदान	
		गिरीदिह	धनवार	
			गंडे	
			-	गिरीदिह (एम)
		दियोधर	पालोजारी	
			मधुपुर	
			करोन	
		गोड्डा	पथरगामा	
			महागामा	
		साहिबगंज	बरहेत	
			साहिबगंज	
			मनड्रो	
			राजमहल	
			उधवा	
			पथना	
			बरहरवा	
		पकौर	लिटिपारा	
			हिरनपुर	
			पकौर	
			महेशपुर	
		डुंका	शिकारीपारा	
			नारायणपुर	
		रांची	कांके	
			चनहो	
			बेरो	
			मंदार	
			तोरपा	
			रानिया	
			मुरहु	
		लोहारदागा	कुरू	
		गुमला	कामदारा	
			बसिया	
			चेनपुर	
			दुमरी	
			राइदिह	
			सिमदेगा	
			कुरदेग	

			बोलबा	
			थेथाइटनगर	
			कोलेबिरा	
			जलडेगा	
			बानो	
		गर्हवा	गर्हवा	
		हजारीबाग	कटकमसंडी	
		धनबाद	गोबिंदपुरी	
				भुली (सीटी)
				झारिया (एनए)
				जोरापोखार (सीटी)
	उप–योग	**13**	**44**	**4**
12	कर्नाटक	बिदर	बिदर	
			होमनाबाद	
		गुलबर्गा	चितापुर	
		बागलकोट	-	जमखंडी (टीएमसी)
			-	बागलकोट (सीएमसी)
		रायचुर	-	रायचुर (सीएमसी)
			-	सिंधनुर (टीएमसी)
		कोप्पल	-	गंगावती (सीएमसी)
			-	कोप्पल (टीएमसी)
		हवेरी	-	हवेरी (टीएमसी)
		बेलारी	-	होसपेट (सीएमसी)
	उप–योग	**7**	**3**	**8**
13	केरल	वेयनाड	पनमरम्	
			मानंथवाड़ी	
			कलपेट्टा	
			सुल्तानबथेरी	
		मलपुरम	-	पोन्नानी (एम)
	उप–योग	**2**	4	**1**
14	मध्य प्रदेश	शिओपुर	-	शिओपुर (एम)
		इंदौर	-	मऊ कैंट (सीबी)
		वेस्ट निमार	-	खारगोन (एम)
		ईसट निमार	-	बुरहानपुर (एम कोरप)
	उप–योग	**4**	**–**	**4**
15	महाराष्ट्र	बुलदाना	शेगांव	
			चिखली	
			बुलदाना	
			खमगांव	
		वाशिम	मनगरूलपिर	
			करंजा	
		यावातमाल	नेर	
		हिंगोली	हिंगोली	
		जलगांव		चोपड़ा (एम सीआई)
		परभनी		परभनी (एम सीआई)
		जलना		जलना (एम सीआई)
		बिद		परली (एम सीआई)
		लातुर		लातुर (एम सीआई)
				उदगिर (एम सीआई)
	उप–योग	**9**	**8**	**6**
16	मणिपुर	सेनापति	कांगपोकपी टी.डी. ब्लॉक	
			सैतु गमफाजोल टी.डी. ब्लॉक	
			सैकुल टी.डी. ब्लॉक	
		तमेंगलोंग	तौसम टी.डी. ब्लॉक	
			तमेई टी.डी. ब्लॉक	

			तमेंगलोंग टी.डी. ब्लॉक	
			नुनग्बा टी.डी. ब्लॉक	
		चुराचांदपुर	परबुग टी.डी. ब्लॉक	
			थानलोन टी.डी. ब्लॉक	
			हेंगलेप टी.डी. ब्लॉक	
			समुलामलान	
			चुराचांदपुर	
			सिंग्नगाट टी.डी. ब्लॉक	
		थौबल	थौबल सी.डी. ब्लॉक	
		इम्फाल ईस्ट	इम्फाल ईस्ट –II सी.डी. ब्लॉक	
			जिरिबम सी.डी. ब्लॉक	
		उखरूल	चिंगाई टी.डी. ब्लॉक	
			उखरूल टी.डी. ब्लॉक	
			क्मजोंग चस्साद टी.डी. ब्लॉक	
			फुंगयार फाइसत टी.डी. ब्लॉक	
			कसोम खुल्लेन टी.डी. ब्लॉक	
		चंडेल	माची टी.डी. ब्लॉक	
			तेंगनौपल टी.डी. ब्लॉक	
			चंडेल टी.डी. ब्लॉक	
			चकपिकारोंग टी.डी. ब्लॉक	
	उप–योग	**7**	**25**	
17	मेघालय	वेस्ट गारो हिल्स	जिकजक	
			सेलसेला	
	उप–योग	**1**	**2**	
18	मिजोरम	ममित	वेस्ट फाईलेंग	
		लांगतलाई	लांगतलाई	
			चांगते	
	उप–योग	**2**	**3**	
19	ओडिसा	सुन्दरगढ़	बलिसंकरा	
			गुरुंडिया	
			सबदेगा	
			कुतरा	
			कुआरमुण्डा	
			नगांव	
			राजागंगापुर	
			गांव वर्गीकृत नहीं (ब्लॉक का ठीक–ठीक नाम राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा)	
		गजापति	आर. उदयगिरी	
			मोहना	
			नगड़ा	
			गुमा	
			गांव वर्गीकृत नहीं (ब्लॉक का ठीक–ठीक नाम राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा)	
		कंधमाल	कोटागढ़	
			दरिंगबड़ी	
			गांव वर्गीकृत नहीं (ब्लॉक का ठीक–ठीक नाम राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा)	
			गांव वर्गीकृत नहीं (ब्लॉक का ठीक–ठीक नाम राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा)	
		रायगढ़	चंद्रपुर	
			गुनूपुर	
		भद्रक		भद्रक (एम)
	उप–योग	**5**	**19**	**1**

20	पंजाब	संगरुर	मलेरकोटला–I	
			मलेरकोटला–II	
		गुरदासपुर	धारीवाल	
			गुरदासपुर	
			कलानौर	
			डेरा बाबा नानक	
	उप–योग	**2**	**6**	
21	राजस्थान	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	
		अलवर	लक्षमनगढ़	
			किसनगढ़ बस	
			तिजरा	
			रामगढ़	
		भरतपुर	कमन	
			नगर	
		जैसलमर	सम	
			संकरा	
		बरमेर	चोहतन	
		सवाई माधोपुर	-	गंगापुर सिटी (एम)
		नागौर	-	मकराना (एम)
		टोंक	-	टोंक (एम सीआई)
	उप–योग	**8**	**10**	**3**
22	सिक्किम	नोर्थ	मनगन	
			चुगंथांग	
	उप–योग	**1**	**2**	
23	त्रिपुरा	वेस्ट त्रिपुरा	मेलाघर	
			बोक्सानगर	
			कथलिया	
		साउथ त्रिपुरा	कारबुक	
			रूपाईछरी	
		धलाई	दुम्बुरनगर	
			छमनु	
		नोर्थ त्रिपुरा	दास्दा	
			गौरनगर	
			कदमतला	
			पेंचरथल	
			जम्पूई हिल्स	
	उप–योग	**4**	**12**	
24	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर	नागल	
			सदौली कदीम	
			मुजफ्फराबाद	
			पुवारका	
			बलिया खेरी	
			सरसवान	
			गनगोह	
			दियोबंद	
			फोरेस्ट विलेज	
		मुजफ्फर नगर	उन	
			कंधला	
			कैराना	
			थाना भवन	
			चर्थवाल	
			पुर्काजी	
			मुजफ्फरनगर	
			बघारा	
			बुधाना	
			शाहपुर	

			मोरना	
			जनसथ	
		बिजनौर	मोहम्मदपुर डियोमल	
			नाजीबाबाद	
			किरतपुर	
			हल्द्वार (खरी झलु)	
			कोतवली	
			अफजलगढ़ (कासिमपुर गढ़ी)	
			नेहतौर	
			अल्लाहपुर	
			बुधानपुर सोहारा	
			जलीलपुर	
			नूरपुर	
			फोरेस्ट विलेज	
		मुरादाबाद	बिलारी	
			पनवासा	
			ठाकुरद्वारा	
			दिलारी	
			छजलेट	
			भगतपुर टांडा	
			मुरादाबाद	
			मुंडा पाण्डेय	
			दिंगारपुर	
			असमौली	
			सम्भल	
		रामपुर	सौर	
			बिलासपुर	
			सैदनगर	
			चमराऊ	
			शाहाबाद	
			फोरेस्ट विलेज	
		ज्योतिबा फुले नगर	धनौरा	
			अमरोहा	
			असमौली	
			जोया	
			गजरौला	
		मेरठ	जनिखुर्द	
			राजपुरा	
			सरूरपुर खुर्द	
			परिक्षितगढ़	
			मचरा	
			मेरठ	
			खरखोड़ा	
		गाजियाबाद	भोजपुर	
			हापुर	
			गढ़ मुक्तेश्वर	
			राजापुर	
			धौलाना	
			सिम्भावली	
		बरेली	फतेहगंज पश्चिम	
			बहेरी	
			शेरगढ़	
			रिछा	
			भोजीपुरा	
			बिथरिचैनपुर	
			नवाबगंज	
		बाराबंकी	फतेहपुर	

			सिरौली गौसपुर	
			मसौली	
		फैजाबाद	मवेई	
			पुरेदालाई	
		सुल्तानपुर	कुर्वा	
			सिंहपुर	
			शुकुल बाजार	
			जगदीशपुर	
			दुबेपुर	
		बहराईच	हुजूरपुर	
			नवाबगंज	
			बलाहा	
			रजिया	
			चितौड़ा	
			तजवापुर	
			फखारपुर	
			केसरगंज	
			जरवाल	
		श्रावस्ती	हरीहरपुर रानी	
			जमुनाहा	
			सिरसिया	
		बलरामपुर	तुलसीपुर	
			गेसरी	
			पचपेरवा	
			श्री दत्त गंज	
			उत्रौला	
			गैनदास बुजुर्ग	
			रेहरा बाजार	
		गोंडा	इटिया ठोक	
			मुजहाना	
			हल्धरमऊ	
			बभनजोत	
		सिद्धार्थ नगर	शोहराजगढ़	
			नवगढ़	
			मिथवाल	
			भनवापुर	
			बरहनी बजार	
			बिर्दपुर	
			इटवा	
			खुनियोन	
			डोमरियागंज	
		संत कबीर नगर	सोथा	
			बघौली	
			सेमरियावन	
		आजमगढ़	साथियों	
			मुहम्मदपुर	
			मिर्जापुर	
				मुबारकपुर (एमबी)
		बुलदंशहर	गुलौथी	
			बुलंदशहर	
		राय बरेली	सिंहपुर	
			बहादुरपरु	
		बाघपत	छपरौली	
			पिलाना	
		सीतापुर	लहरपुर	
			बिसवन	
			महमुदाबाद	

				लहरपुर (एमबी)
		बदायूं	दहगवन	
			कादर चौक	
		बस्ती	रामनगर	
		ईटा	गंज दुंडवारा	
		शाहजहांपुर	खुतर	
		खीरी	कुम्भीगोला	
			बंकेईगंज	
			फूलबेहर	
		गाजीपुर	भदौरा	
		महराजगंज	पर्थवाल	
		पीलीभीत	अमरिया	
			पुरानपुर	
		गौतमबुद्ध नगर	-	दादरी (एमबी)
		अलीगढ़	-	अलीगढ़ (एम कोरप.)
		फिरोजाबाद	-	फिरोजाबाद (एमबी)
		हरदोई	-	शाहाबाद (एमबी)
		उन्नव	-	उन्नव (एमबी)
		कनौज	-	छिबरामऊ (एमबी)
			-	कनौज (एमबी)
		ईटावा	-	ईटावा (एमबी)
		कानपुर नगर	-	कानपुर (सीबी)
		जलाउं	-	जलाउं (एमबी)
			-	कोंच (एमबी)
		महोबा	-	महोबा (एमबी)
		फतेहपुर	-	फतेहपुर (एमबी)
		प्रतापगढ़	-	बेला प्रतापगढ़ (एमबी)
		अम्बेड़कर नगर	-	टांडा (एमबी)
		संत रविदास नगर भदोही	-	भदोही (एमबी)
	उप–योग	**45**	**144**	**18**
25	उत्तराखंड	गढ़वाल	फोरेस्ट विलेज	
		उघम सिंह नगर	फोरेस्ट विलेज	
			रूद्रापुर	
			जसपुर	
			काशिपुर	
			बजपुर	
			सीतारगंज	
		हरिद्वार	भगवानपुर	
			रूड़की	
			नरसन	
			बहादराबाद	
			लाकसर	
			फोरेस्ट विलेज	
		देहरादून	विकास नगर	
	उप–योग	**4**	**14**	
26	पश्चिम बंगाल	दार्जलिंग	गोरूबथान	
			जेरबंगला सुकियापोखरी	
			कुरसियोंग	
			रंगली रंगलिवोट	
			कालिमपोंग–I	
			कालिमपोंग–II	
			फांसिदेवा	
		कूच विहार	सिताई	
			हल्दीबारी	

			तुफानगंज–I	
			कूच बिहार–I	
			दिनहाता––I	
			दिनहाता––II	
			सीतालकुची	
		उत्तर दिनाजपुर	चोपरा	
			इस्लामपुर	
			गोलपोखर–I	
			गोलपोखर–II	
			करणदिघि	
			रायगंज	
			हेमताबाद	
			इतहार	
		दक्षिण दिनाजपुर	बंसहरी	
			तपन	
			कुशमुंडी	
			गंगारामपुर	
			कुमारगंज	
			हरिरामपुर	
		मालदाह	मलदाह (पूरानी)	
			हरिशचंद्रपुर–I	
			हरिशचंद्रपुर–II	
			चंचल–I	
			चंचल–II	
			रतुआ–I	
			रतुआ–II	
			इंगिलिश बाजार	
			मानिकचक	
			कालियाचक–I	
			कालियाचक–II	
			कालियाचक–III	
		मुर्शिदाबाद	फरक्का	
			समसेरगंज	
			सुति–I	
			सुति–II	
			रघुनाथगंज–I	
			रघुनाथगंज–II	
			लालगोला	
			सागरदिघि	
			भगवानगोला–I	
			भगवानगोला–II	
			रानीनगर–II	
			जालांगी	
			दोमकाल	
			रानीनगर–I	
			मुर्शिदाबाद जयगंज	
			नाबाग्राम	
			खरग्राम	
			कांडी	
			बेरहामपोर	
			हरीहरपारा	
			नवादा	
			बेलदंगा–I	
			बेलदंगा–II	

			भारतपुर–II	
			भारतपुर–I	
			बुरवान	
		बिरभूम	सुरी–I	
			मयुरेशवर–I	
			लाबपुर	
			मोहम्मद बाजार	
			मुरारी–I	
			मुरारी–II	
			नलहाटी–I	
			नलहाटी–II	
			रामपुरहट–I	
			रामपुरहट–II	
			सुरी–II	
			नानूर	
			इलमबाजार	
			दुबराजपुर	
		बर्द्धमान	कटवा–I	
			पुरबस्थली–II	
			भटर	
			गल्सी–I	
			बर्द्धवान– I	
			कलना– I	
			रैना– I	
			मंगोलकोटे	
			केतुग्राम– I	
			मांटेशवर	
			खंडाघोश	
		नादिया	हरिंघटा	
			करीमपुर–I	
			करीमपुर–II	
			तेहाट्टा–I	
			तेहाट्टा–II	
			कालीगंज	
			नकाशीपारा	
			चापरा	
			कृष्णनकर– II	
			नाबाद्वीप	
		उत्तर 24 परगना	हबरा– I	
			संदेशखली– I	
			स्वरूपनगर	
			हबरा– II	
			आमदंगा	
			बरासत– I	
			बरासत–II	
			देगंगा	
			बदुरिया	
			बसिरहट– I	
			बसिरहट– II	
			हरोवा	
			राजरहट	
			मिनाखान	
			हसनाबाद	

		मेदिनीपुर	केशपुर	
			सुताहाटा–I	
			नंदीग्राम– I	
		हावड़ा	आमता– I	
			जगतबल्लावपुर	
			दोमजुर	
			संकरैल	
			पंचला	
			उल्लुबेरिया– II	
			उल्लुबेरिया– I	
			बागनान–I	
		दक्षिण 24 परगना	कुलताली	
			बज–बज– II	
			थाकुरपुकुर महेसटोला	
			बज–बज– I	
			बिष्णूपुर– I	
			बिष्णूपुर – II	
			भांगर–I	
			भांगर–II	
			केंनिंग–I	
			केंनिंग–II	
			बरूईपुर	
			मगराहट–II	
			मगराहट–I	
			फाल्ता	
			डायमंड हारबर–I	
			डायमंड हारबर–II	
			कुल्पि	
			मंदीरबाजार	
			मथुरापुर– I	
			जयनगर–I	
			जयनगर–II	
			बसंती	
		जलपाईगुड़ी	माल	
			कालचीनी	
	उप–योग	**14**	**151**	
	योग	**196**	**710**	**66**

12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत एमसीबी/नगरों/शहरों/समूहों हेतु योजना प्रस्ताव का जिला–वार सार

1. जिला और राज्य का नाम :
2. प्रस्ताव में शामिल एमसीबी/नगरों/समूहों का नामः
3. योजना प्रस्ताव की भेजी जाने वाली कुल राशि

घोषणा :

(i) (क) यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रस्तावित सभी स्थान को अपने आवाह क्षेत्र में कम से कम 25% अल्पसंख्यक आबादी है।

(ख) यदि नहीं, ऐसे किसी स्थान को शामिल करने हेतु उचित औचित्य।

(ग) यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी स्कूल जहां अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, प्रयोगशाला तथा छात्रावास प्रस्तावित हैं, कम से कम 25% अल्पसंख्यक छात्रों का नामांकन हो।

(ii) विभिन्न कार्यों/परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित लागत अनुमान, उस प्रत्येक कार्य के लिए संबंधित मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों/परिकल्पना के आधार पर कुल व्युत्पन्न मानकीकृत लागत के अनुसार है।

(iii) यह सुनिश्चित किया गया है कि यहां केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी योजना के साथ कार्य की कोई पुनरावृत्ति नहीं है तथा इस संदर्भ में संबंधित निदेशक/मिशन निदेशक से परामर्श कर लिया गया है।

(iv) सभी निर्माण कार्यों के लिए भूमि उपलब्ध है।

(v) इस योजना में प्रस्तावित परिसंपत्तियों से संबंधित रख–रखाव और आवर्ती लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

(vi) प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के लिए योजना प्रस्ताव को राज्य–वार समिति द्वारा सिफारिश की गई है।

(vii) पेयजल आपूर्ति योजना की परियोजनाओं को राज्य स्तर की योजना संस्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) द्वारा अनुमोदित किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर
(नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर)

निजी सचिव/सचिव
(नाम, हस्ताक्षर, मुहर)
..... विभाग
..... सरकार

राज्य स्तर समिति द्वारा अनुमोदित योजना प्रस्ताव का ब्लॉक/नगर/समूह–वार ब्यौरे

क्रम सं0	परियोजनाओं के नाम	गैप फिलिंग अथवा नॉन–गैप फिलिंग परियोजनाएं (यदि गैप फिल्लिंग, केंद्रीय प्रायोजित योजना से संबंधित है)	इकाईयों की संख्या	इकाई लागत	कुल लागत	शेयरिंग अनुपात	केंद्र का शेयर	राज्य का शेयर	प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए कार्य निष्पादन एजेंसियां
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)
(1) अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक/नगर/समूह का नाम									
1									
2									
3									
	उप–योग					--			--
(2) अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक/नगर/समूह का नाम									
1									
2									
3									
	उप–योग					--			--
(3) अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक/नगर/समूह का नाम									
1									
2									
3									
	उप–योग					--			--
(4) अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक/नगर/समूह का नाम									
1									
2									
3									
	उप–योग					--			--
	सकल योग					--			--

डीएलसी के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

निजी सचिव/सचिव
(नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर)

परिशिष्ट–III

उपयोग प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :

बहुक्षेत्रीय विकास योजना से अनुमादित वित्तीय सहायता :.....लाख रूपए

अब तक जारी राशि (विवरण निम्नलिखित क्रम में) :

क्रम. सं.	पत्र सं. और तिथि	राशि
1.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय/दिनांक.....2013	.....लाख रूपए
2.		

वर्तमान निर्मुक्ति/निर्मुक्तियां, जिसके लिए उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है :

क्रम. सं.	पत्र सं. और तिथि	राशि
1.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय/दिनांक.....2013	.....लाख रूपए
2.		

प्रमाणित किया जाता है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष..... के दौरान दिनांक .....2013 के पत्र सं. ..... अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत स्वीकृत एवं उपलब्ध कराई गई .....लाख रूपए {(शब्दों में)..... .....} की राशि में से .....लाख रूपए {(शब्दों में).....}, जो पिछले वर्ष व्यय न हुई शेष राशि के रूप में है, ...लाख रू0 {(शब्दों में)..... .....} निम्नलिखित कार्यों के मद में उपयोग में लाई गई है :

(परियोजना का नाम)

संघ तक कार्य मद	उपयोग में लाई गई राशि
क. ख. ग.	

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मै इस बात से पूर्णतः संतुष्ट हूँ कि बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत, जिन शर्तों पर सहायता स्वीकृत की गई थी, मैं उन शर्तों को पूरा करता हूँ/पूरा किया जा रहा है और मैंने निम्नलिखित बातों की जांच यह देखने के लिए कर लिया है कि जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की गई थी, उसी प्रयोजन में राशि का उपयोग हुआ है।

वे बातें, जिनकी जांच की गई :

1. खाता बही और बाउचर
2. मेजरमेंट बुक
3. सहायता अनुदान/ऋण पंजिका
4. व्यय पंजिका

दिनांक .....स्थिति के अनुसार शेष .....लाख रू0 उपयोग में लाए लाने के लिए अवशेष है:

विभाग सचिव द्वारा हस्ताक्षर	अल्पसंख्यक कार्य से जुड़े विभाग के सचिव द्वारा प्रतिहस्ताक्षर
नाम तिथि स्थान कार्यालय की मुहर	नाम तिथि स्थान कार्यालय की मुहर

परिशिष्ट–IV

बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) –I के कार्यान्वयन पर जिला–वार तिमाही प्रगति रिपोर्ट

वित्तीय प्रगति

..... को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट :

जिला का नाम .....

क्रम सं0	परियोजनाओं के नाम	इकाईयों की सं0	इकाई लागत	साझा अनुपात	अनुमोदित केंद्रीय हिस्सेदारी	केंद्रीय हिस्सेदारी के लिए जारी एवं प्रयुक्त निधि							अनुमोदित राज्य हिस्सेदारी	राज्य हिस्सेदारी के लिए जारी एवं प्रयुक्त निधि					
						प्रथम किस्त	प्रयुक्त	दूसरी किस्त	प्रयुक्त	तीसरी किस्त	प्रयुक्त	कुल प्रयुक्त		प्रथम किस्त	प्रयुक्त	दूसरी किस्त	प्रयुक्त	तीसरी किस्त	प्रयुक्त
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)	(xiii)	(xiv)	(xv)	(xvi)	(xvii)	(xviii)	xix
(1) अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक/नगर/समूह का नाम																			
	(दिनांक) ..... को अधिकारप्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित ..... (संख्या)																		
1																			
2																			
3																			
	उप–योग																		
	(दिनांक) ..... को अधिकारप्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित ..... (संख्या)																		
1																			
2																			
3																			
	उप–योग																		
(2) अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक/नगर/समूह का नाम																			
	(दिनांक) ..... को अधिकारप्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित ..... (संख्या)																		
1																			
2																			
3																			
	उप–योग																		
	(दिनांक) ..... को अधिकारप्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित ..... (संख्या)																		
1																			
2																			
3																			
	उप–योग																		
	सकल योग																		

बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) –II के कार्यान्वयन पर जिला–वार तिमाही प्रगति रिपोर्ट

वास्तविक प्रगति

..... को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट :

जिला का नाम .....

क्रम सं0	अनुमादित परियोजनाओं के नाम	अनुमोदित इकाईयों की संख्या	पूर्ण इकाईयों की संख्या	इकाईयों की संख्या जहां कार्य प्रगति पर है।	इकाईयों की संख्या जहां जहां कार्य शुरू नहीं हुए।	मद (iv) के तहत कार्य समापन की अनुमानित तिथि। मद (v) के तहत कार्य के संबंध में विलंब के लिए कारण	कार्यान्वयन विभाग/एजेंसी का नाम
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
(1) अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक/नगर/समूह का नाम							
	(दिनांक) ..... को अधिकारप्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित ..... (संख्या)						
1							
2							
3							
	योग						
	(दिनांक) ..... को अधिकारप्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित ..... (संख्या)						
1							
2							
3							
	योग						
(2) अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक/नगर/समूह का नाम							
	(दिनांक) ..... को अधिकारप्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित ..... (संख्या)						
1							
2							
3							
	(दिनांक) ..... को अधिकारप्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित ..... (संख्या)						
1							
2							
3							
	योग						

बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) –I ए (11वीं योजना के लिए) के कार्यान्वयन पर जिला–वार तिमाही प्रगति रिपोर्ट

वित्तीय प्रगति

..... को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट :

जिला का नाम .....

क्रम सं0	परियोजनाओं के नाम	इकाईयों की सं0	इकाई लागत	साझा अनुपात	अनुमोदित केंद्रीय हिस्सेदारी	केंद्रीय हिस्सेदारी के लिए जारी एवं प्रयुक्त निधि					अनुमोदित राज्य हिस्सेदारी	राज्य हिस्सेदारी के लिए जारी एवं प्रयुक्त निधि			
						प्रथम किस्त	प्रयुक्त	दूसरी किस्त	प्रयुक्त	कुल प्रयुक्त		प्रथम किस्त	प्रयुक्त	दूसरी किस्त	प्रयुक्त
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)	(xiii)	(xiv)	(xv)
	(दिनांक) ..... को अधिकारप्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित ..... (संख्या)														
1															
2															
3															
	उप–योग														
	(दिनांक) ..... को अधिकारप्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित ..... (संख्या)														
1															
2															
3															
	उप–योग														
	(दिनांक) ..... को अधिकारप्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित ..... (संख्या)														
1															
2															
3															
	उप–योग														
	(दिनांक) ..... को अधिकारप्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित ..... (संख्या)														
1															
2															
3															
	उप–योग														
	सकल योग														

बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) –II ए (11वीं योजना के लिए) के कार्यान्वयन पर जिला–वार तिमाही प्रगति रिपोर्ट
वास्तविक प्रगति

..... को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट :

जिला का नाम .....

क्रम सं0	अनुमादित परियोजनाओं के नाम	अनुमोदित इकाईयों की संख्या	पूर्ण इकाईयों की संख्या	इकाईयों की संख्या जहां कार्य प्रगति पर है।	इकाईयों की संख्या जहां जहां कार्य शुरू नहीं हुए।	मद (iv) के तहत कार्य समापन की अनुमानित तिथि। मद (v) के तहत कार्य के संबंध में विलंब के लिए कारण	कार्यान्वयन विभाग/एजेंसी का नाम
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
(1) अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक/नगर/समूह का नाम							
	(दिनांक) ..... को अधिकारप्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित ..... (संख्या)						
1							
2							
3							
	योग						
	(दिनांक) ..... को अधिकारप्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित ..... (संख्या)						
1							
2							
3							
	योग						
(2) अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक/नगर/समूह का नाम							
	(दिनांक) ..... को अधिकारप्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित ..... (संख्या)						
1							
2							
3							
	(दिनांक) ..... को अधिकारप्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित ..... (संख्या)						
1							
2							
3							
	योग						